# न्यायालय, भूमि सुधार, उप समाहर्त्ता, सिमडेगा
## एस0ए0आर0 वाद सं0 22/2010–11

लोकनाथ मांझी
बनाम
जोराम लकड़ा

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे टिप्पणी सहित तारीख |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

3.3.22

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक लोकनाथ मांझी, पिता– श्री सुखदेव मांझी, ग्राम– गोरारजोर, थाना– कुरडेग, जिला– सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया । आवेदक ने लिखा है कि विपक्षी श्री जेराम लकड़ा, ग्राम– कुरडेग थाना– कुरडेग, जिला– सिमडेगा ने अवैध तरीके कब्जा किया गया है। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1968 के तहत वापस दिलवाने का अनुरोध किया है। वाद संख्या– 22/2010–11 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि की विवरणी निम्नवत् हैः–

**भूमि विवरणः–**

| **मौजा** | **थाना** | **थाना नं0** | **खाता न0** | **प्लॉट न0** | **रकबा** |
|---|---|---|---|---|---|
| गोरारजोर | कुरडेग | | 41 | 1722 | 0.94 ए0 |
| | | | | 1723 | 0.02 ए0 |
| | | | | 1724 | 0.07 ए0 |
| | | | | 1725 | 0.15 ए0 |

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, कुरडेग को इस न्यायालय के पत्रांक 327(ii)/रा0, दिनांक 11.10.2010, द्वारा उपयुक्त अंकित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई थी। अंचल अधिकारी, कुरडेग के पत्रांक 228 (ii)/ दिनांक 14.11.2011 द्वारा प्रशनगत भूमि के खतियानी रैयत बुढ़ा मांझी वल्द शाली मांझी वगै0 के नाम दर्ज है। पंजी ॥ मे रैयत लक्ष्मीनारायण साहू वल्द रामबरन साहू के नाम से दर्ज है।

अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 02.06.2010 से लेकर 14.12.2016 तक उभय पक्ष अनुपस्थित एवं व्यक्तिगत रुप से अभिरुचि नहीं रखी गई। दिनांक 14.12.2016 से लेकर 20.09.2021 तक पीठासीन पदाधिकारी अधिसूचित नही रहने के कारण अपील की सुनवाई नही की गई एवं उभय पक्ष की और से अधिवक्ता की कोई पैरवी नही पड़ी और न ही उभय पक्ष सशरीर उपस्थित हो सके । ऐसा प्रतित होता है कि उभय पक्षों को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रुप से अभिरुचि नहीं है। इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय को बर्बाद करने का है। ऐसे स्थिति मे वाद संख्या– 22/2010–11 को संचिकास्त किया जाता है। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को अनुमण्डल कार्यालय के न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते है।

लेखापित एवं संशोधित ।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सिमडेगा ।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सिमडेगा ।

TION SIMDEGA

विपक्ष

# न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सिमडेगा

## एस0ए0आर0 वाद अभिलेख संख्या 22/2010

1. वादी का नाम – लोकनाथ माझी वगै
2. प्रतिवादी का नाम – (1) जेरोम लकड़ा (2) विजय भूषण मं. सिंधिया
3. वादी के अधिवक्ता का नाम – हु. डुंगडुंग / संतोष कुमार
   मोबाईल नं0
4. प्रतिवादी की अधिवक्ता का नाम – X
   मोबाईल नं0
5. ग्राम – गोराटोर पंचायत –
   अंचल – ~~कुरडेग~~ केरसई जिला – सिमडेगा
6. वाद से संबंधित भूमि का विवरण –

| थाना नं0 | ग्राम | खाता नं0 | लॉट नं0 | रकबा |
|---|---|---|---|---|
| | | 41 | 1222 | 0.94 |
| | | | 1223 | 0.01 |
| | | | 1224 | 0.07 |
| | | | 1225 | 0.15 |
| | | | | 1.18 एकड़ |

7. अंचल प्रतिवेदन – प्राप्त/अप्राप्त
8. कब्जा का वर्ष आवेदक 26 वर्ष से
   क). खेती ख.) मकान ग.) कुआँ घ.) अन्य
9. प्रथम पक्ष (I) नोटिस तामिला –
   (II) उपस्थिति –
10. द्वितीय पक्ष (I) नोटिस तामिला –
    (II) उपस्थिति –
11. प्रथम पक्ष मन्तव्य –
    पहले उपस्थित
    वादी के अधिवक्ता उपस्थित
12. द्वितीय पक्ष मन्तव्य –
    कभी उपस्थित नहीं
    हुआ

रा० प्रा० वि कक्ष 1.18 एकड़ पर अवस्थित है 35 वर्षों से विद्यालय भवन एवं खेल मैदान है भवन 0.20 एकड़ पर बाकी खेल मैदान है एक चापाकल है एवं मैदान में हाट भी लगता है। वर्तमान में ~~विपक्ष~~ प्रा० आ० है खाता 41/11 प्लाट -1222 रकबा 0.94 लक्ष्मी नारायण साहू के नाम पंजी II में दर्ज है बाकी प्लाट देवनाथ भगत के नाम से है संतोष कुमार
वर्तमान ~~शिक्षक~~ के शिक्षक को Notice किया जा सकता है

अभिलेख उपस्थापन विवरणी

| क्र0सं0 | तिथि | अभियुक्ति |
|---|---|---|
| | 14.12.16 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## आदेश–पत्रक

(देखें नियम 129 अभिलेख हस्तक)

आदेश पत्रक–ता0..........................से ..........................तक

जिला–सिमडेगा, संख्या SAR - 88/2010 श्री लोकनाथ मांझी (प्रार्थकार)

केस का प्रकारः– बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 बनाम

श्री जेरोम लकड़ा (विजय भगत सिधिया)

| आदेश की कम सं0 और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|
| 22.04.10 | श्री लोकनाथ मांझी पिता श्री सुखदेव मांझी सांकिन जोराजोर थाना कुरडेग जिला–सिमडेगा ने आवेदन–पत्र दिया है कि निम्नलिखित जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी श्री जेरोम लकड़ा प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रुद्र ..... साकिन– कुरडेग थाना सिमडेगा जिला–सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत वापस दिलाने का अनुरोध करते हैं। | 7.6.2014 |

| ग्राम | खाता सं0 | प्लॉट सं0 | रकबा |
|---|---|---|---|
| जोराजोर | 41 | 1722 | 0.94 |
| | | 1723 | 0.02 |
| | | 1724 | 0.07 |
| | | 1725 | 0.15 / 1.18 |

उभय पक्ष को सूचित करें। अभिलेख दिनांक 12.05.2010 को उपस्थापित करें।

(हस्ताक्षर) 22.4.10

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,

सिमडेगा।

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR
Date: 2022.03.22 11:36:58 +05:30
Location: 192.168.0.109